



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर(छत्तीसगढ़)

क्रमांक/९१०२/अका./विद्यापरिषद/2012

रायपुर, दिनांक 13 दिसंबर, 2012

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 08.12.2012 को अपराह्न 2.00 बजे विज्ञानभवन सर सी.वी.रमन हॉल में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

| | | | |
|------------------------------|--------|---|---------|
| 1. डॉ.एस.के.पाण्डेय, | कुलपति | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री यशवन्त सिंह वर्मा | | — | सदस्य |
| 3. डॉ. व्यास नारायण दुबे | | — | सदस्य |
| 4. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल | | — | सदस्य |
| 5. डॉ. बी.के. शर्मा | | — | सदस्य |
| 6. डॉ. ए.के. गुप्ता | | — | सदस्य |
| 7. डॉ. सी.एल. पटेल | | — | सदस्य |
| 8. डॉ. संतोष कुमार शर्मा | | — | सदस्य |
| 9. डॉ. रीता वेणुगोपाल | | — | सदस्य |
| 10. डॉ. अमिता सहगल | | — | सदस्य |
| 11. डॉ. शैलेन्द्र सराफ | | — | सदस्य |
| 12. डॉ. आर.पी. दास | | — | सदस्य |
| 13. डॉ. विभूति राय | | — | सदस्य |
| 14. डॉ. सत्येन्दु शर्मा | | — | सदस्य |
| 15. डॉ. तोयनिधि वैष्णव | | — | सदस्य |
| 16. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता | | — | सदस्य |
| 17. डॉ. कं.एस. पटेल | | — | सदस्य |
| 18. डॉ. राकेश चन्द्र अग्रवाल | | — | सदस्य |
| 19. डॉ. व्यास दुबे | | — | सदस्य |
| 20. डॉ. एम.डबल्यू वाय खान | | — | सदस्य |
| 21. डॉ. एच.के. पाठक | | — | सदस्य |
| 22. डॉ. अमर कान्त पाण्डेय | | — | सदस्य |
| 23. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार | | — | सदस्य |
| 24. डॉ. अनुसुईया बघेल | | — | सदस्य |
| 25. डॉ. पुष्पलता शर्मा | | — | सदस्य |
| 26. डॉ. प्रीति के. सुरेश | | — | सदस्य |
| 27. डॉ. एस.के. जाधव | | — | सदस्य |
| 28. डॉ. एस.सी. नैथानी | | — | सदस्य |
| 29. डॉ. मोयना चक्रवर्ती | | — | सदस्य |

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 30. डॉ. अनिता महेश्वर | — | सदस्य |
| 31. डॉ. बशीर हसन | — | सदस्य |
| 32. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा | — | सदस्य |
| 33. डॉ. ए.के. पति | — | सदस्य |
| 34. डॉ. रोहिणी प्रसाद | — | सदस्य |
| 35. डॉ. मिताश्री मित्रा | — | सदस्य |
| 36. डॉ. संजय तिवारी | — | सदस्य |
| 37. डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय | — | सदस्य |
| 38. डॉ. शशिकान्ता भारद्वाज | — | सदस्य |
| 39. डॉ. वी.एस. चौहान | — | सदस्य |
| 40. श्रीमती प्रतिभा छाया क्लाडियस | — | सदस्य |
| 41. श्री के.के.चन्द्राकर, | कुलसचिव | — सदस्य |

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक-1

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2012 एवं आपात बैठक 26.04.2012 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 26.04.2012 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्रमांक-2

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2012 एवं आपात बैठक 26.04.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 26.04.2012 के कार्यवाही विवरण की निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई:—

- (i) भूगोल विषय को सामाजिक विज्ञान संकाय के साथ विज्ञान संकाय में शामिल करने संबंधी निर्णय पर संबंधित परिनियम में संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

विषय क्रमांक-3

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2012, 06.03.2012, 23.03.2012, 04.04.2012, 13.04.2012, 15.05.2012, 26.05.2012, 22.06.2012, 10.07.2012, 24.07.2012, 11.08.2012, 23.08.2012, 30.08.2012, 06.09.2012, 22.09.2012, 17.10.2012, एवं 16.11.2012 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय :

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2012, 06.03.2012, 23.03.2012, 04.04.2012, 13.04.2012, 15.05.2012, 26.05.2012, 22.06.2012, 10.07.2012, 24.07.2012, 11.08.2012, 23.08.2012, 30.08.2012, 06.09.2012, 22.09.2012, 17.10.2012, एवं 16.11.2012 के कार्यवृत्त का निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया-

“संस्कृत विषय की परीक्षा एवं संस्कृत विषय में शोधार्थियों के लिए संस्कृत भाषा में ही लेखन कार्य को दृढ़ता से लागू किया जावे।”

विषय क्रमांक-4

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1.1-2/2008 (XI Plan) 16 October, 2012 पर विचार करना।

निर्णय :

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1.1-2/2008 (XI Plan) 16 October, 2012 के पालन के लिए अभिमत हेतु संकायाध्यक्षों की गठित समिति की बैठक दिनांक 03.12.2012 में अनुशासित बिंदु पर सिद्धांततः सहमति प्रदान की गई एवं प्रत्येक विन्दुओं पर प्राथमिकता तय करते हुए सभी संकायाध्यक्षों एवं समन्वयक, IQAC Cell की समिति विस्तृत रूपरेखा एवं अध्यादेश, परिनियम, विनियम में आवश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव देंगे, जिसे कार्यपरिषद में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।
- (ii) स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जावे।

विषय क्रमांक-5

Environmental Science को परिनियम 10 (Board of Studies) के Faculty of Science की सूची एवं अध्यादेश क्रमांक 3 में Faculty of Science में डिपार्टमेंट के रूप में समाहित करने हेतु विचार करना।

निर्णय :

Environmental Science को परिनियम-10 (Board of Studies) के Faculty of Science की सूची एवं अध्यादेश क्रमांक-3 में Faculty of Science में डिपार्टमेंट के रूप में समाहित करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव मान्य किया गया।

पूरकसूची—

1. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 31.05.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :

विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 31.05.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया —

- (i) विश्वविद्यालय में Centre for Basic Science संबंधी प्रस्ताव तैयार कर छत्तीसगढ़ शासन को एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जावे।
 - (ii) विश्वविद्यालय में जिन विभागों को SAP मिला है, उन विभागों को Autonomy प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित कर आगामी कार्यवाही की जावे। आवश्यकता अनुसार इस संबंध में रेगुलेशन भी तैयार किया जावे।
 - (iii) विश्वविद्यालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फार साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च (NISER) स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर D.A.E. को प्रस्ताव भेजी जावे।
2. मास्टर ऑफ सोशल वर्क (M.S.W) को अध्यादेश 170 में शामिल करने एवं अध्यादेश 13 में विलोप करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय :

मास्टर ऑफ सोशल वर्क (M.S.W) को अध्यादेश 170 में शामिल करने एवं अध्यादेश 13 में विलोप करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. सेमेस्टर पद्धति से संचालित पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक परीक्षाओं में पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण बाह्य परीक्षकों का उपस्थित होना संभव नहीं होता है। समय पर प्रायोगिक परीक्षा संपन्न नहीं होने से परिणाम घोषित करने में विलंब होता है। अतः सेमेस्टर परीक्षाओं के विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में विभागीय स्तर पर ही बाह्य परीक्षक नियुक्त करने संबंधी डॉ. ए.के. पति का द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सिद्धांततः स्वीकार किया है तथा इसके लागू होने के संबंध में परिनियम, विनियम में यदि कोई संशोधन किया जाना हो, तो इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जावे।

2. अध्यादेश 45 के अंतर्गत शोध के लिए पंजीकृत छात्रों को शोध केन्द्रों पर शिक्षकों के स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप शोध निरंतर रखने, शोध केन्द्रों में उपस्थिति संबंधी, कोर्स वर्क करने इत्यादि संबंधी समस्या है। अतः अध्यादेश-45 में दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण के लिए प्रकरण संकायाध्यक्षों एवं समन्वयक, IQAC की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक/९१०३/अका./विद्यापरिषद/2012 रायपुर, दिनांक 13 दिसंबर, 2012

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों को
4. वित्त नियंत्रक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
5. अतिरिक्त संचालक, आवासीय अंकेक्षण, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
6. समस्त विभाग प्रमुख, प्रशासनिक भवन, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रभारी अधिकारी (अका.)